



ज्ञान शांति मैत्री



आज़ादी का
अमृत महोत्सव

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

कादर नवाज खान
Kadar Nawaz Khan
कार्यकारी कुलसचिव
Acting Registrar

दूरभाष / Phone : +91-7152-251661
मोबाइल / Mobile : +91-9422905760

क्रमांक : 34/2022-23/Gandhi Hill/Restaurant File/02.

दिनांक : 14.10.2022

1753

सूचना

विश्वविद्यालय परिसर स्थित गांधी हिल कैंटीन का आबंटन करने के लिए निविदा क्रमांक-MGAHV/CD/34/2022-23/07 के माध्यम से प्रसारित निविदा को जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 31.10.2022 अपराह्न 04:00 बजे तक विस्तारित की जाती है।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरांत जारी किया जाता है।

कादर नवाज
(कुलसचिव)

14/10/22

प्रतिलिपि:

1. माननीय कुलपति महोदय की ओर सूचनार्थ।
2. वित्ताधिकारी
3. प्रभारी, लीला विभाग (विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)
4. कुलसचिव कार्यालय
5. संबंधित फाइल

14/10/22



ज्ञान शांति मैत्री

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya, Wardha

Gandhi Hill, Wardha- 442001. (Maharashtra)

[Phone No. 07152 – 232669]

[Website : www.hindivishwa.org]

Tender No. MGAHV/CD/34/2022-23/07

Tender Notice

Sealed tenders are invited for Allotment of Gandhi hill Canteen at University Campus. The tender should reach the University on or before 26 / 09 /22 up to 05:00 p.m.

The detailed terms and conditions of tender can be obtained from www.hindivishwa.org

कादर नाना
Registrar
08/09/22



ज्ञान शांति मैत्री

डॉ. राजेश्वर सिंह

Dr. Rajeshwar Singh

सहायक कुलसचिव (परिसर विकास)

Assistant Registrar (Campus Development)

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

दूरभाष / Phone : +91-7152-232669

मोबाईल / Mob. : 09823499988

फैक्स / Fax : +91-7152-232669

क्रमांक: 34/2022-23/Gandhi Hills/Restrnt File/02 / 61
दिनांक: 08 09.2022

गांधी हिल कैफे आबंटन हेतु सूचना

विश्वविद्यालय परिसर स्थित गांधी हिल कैफे का आबंटन किया जाना है:-

क्रमांक	आबंटित की जाने वाली कैटीन का स्थान	जगह (वर्ग फीट)	न्यूनतम निर्धारित दर (प्रति वर्ग फीट)	टिप्पणी
01.	गांधी हिल कैफे	987.62		

1. गांधी हिल कैफे हेतु आवेदन दिनांक 8.9.2022 से दिनांक 26.09.2022 अपराह्न 05:00 बजे तक प्रस्तुत किया जा सकता है।
2. सीलबंद आवेदन कुलसचिव, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय अथवा केंद्रीकृत डाक विभाग में कार्यालयीन दिवसों में ही स्वीकार्य होगा। लिफाफे पर "गांधी हिल कैफे हेतु आवेदन" स्पष्ट रूप से लिखा हुआ हो।
3. गांधी हिल कैफे का आबंटन प्रथमतः 01 वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा, जिसे दोनों पक्षों की परस्पर सहमति के आधार पर अधिकतम 03 वर्ष की अवधि (प्रति वर्ष 10% वृद्धि का प्रावधान) तक बढ़ाया जा सकता है।
4. गांधी हिल कैफे हेतु बिजली विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसके लिए अलग से मीटर की व्यवस्था होगी। बिजली की दर Maharashtra State Electricity Distribution Co. LTD., की अधिकतम व्यावसायिक दर के अनुसार प्रतिमाह देय होगी।
5. पानी शुल्क कैफे हेतु रु.500/- (रुपया पांच सौ मात्र) प्रति माह की दर से देय होगा।
6. आबंटित गांधी हिल कैफे सुबह 8:00 बजे से अधिकतम रात्रि 9:00 बजे तक या विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्धारित समयानुसार खुला रखना होगा।
7. आबंटित गांधी हिल कैफे को भारत सरकार/महाराष्ट्र सरकार के श्रम कानूनों, बाल मजदूरी कानूनों, दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम, खाद्य वस्तु उपयोग संबंधी नियम, वर्धा पुलिस के लाइसेंस संबंधी नियमों एवं शुल्क देयता आदि का पालन करना अनिवार्य होगा। कैटीन में नियुक्त कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कैटीन आबंटि द्वारा स्वयं सुनिश्चित करना होगा।
8. आबंटि व्यक्ति किसी अन्य को परिसर में गांधी हिल कैफे का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा। साथ ही, जिस उद्देश्य के लिए कैटीन खोलने की अनुमति मांगी गई है, उसके अतिरिक्त किसी अन्य परिवर्तन से पूर्व विश्वविद्यालय प्रशासन से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा।



डॉ. राजेश्वर सिंह
Dr. Rajeshwar Singh
सहायक कुलसचिव (परिसर विकास)
Assistant Registrar (Campus Development)

दूरभाष / Phone : +91-7152-232669
मोबाईल / Mob. : 09823499988
फैक्स / Fax : +91-7152-232669

9. गांधी हिल कैफे में भोजन, नाश्ता बनाने, बिस्किट, नमकीन, पेटीज, समोसा, कचोरी, चाय, कॉफी के अलावा रोजमर्रा की जरूरत के सामान बेचने की अनुमति होगी। इससे अधिक चीजें बेचने से पहले विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी। किसी भी रूप में मादक या नशीले पदार्थों (यथा-शराब, गांजा, सुर्ती, गुटखा, पान मशाला, सिगरेट आदि) की बिक्री या वितरण करना कानूनन अपराध होगा।
10. सुरक्षा राशि के रूप में आबंटन के समय आबंटि को 10 माह के लाइसेंस शुल्क के बराबर की राशि विश्वविद्यालय के वित्त विभाग में संबंधित सूचना प्राप्ति के 07 कार्यालयीन दिवसों के अंदर जमा करना अनिवार्य होगा। सुरक्षा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
11. आबंटि को अपने Pan Card, Aadhar Card की हस्ताक्षरित प्रति आवेदन के साथ लगाना अनिवार्य है।
12. गांधी हिल कैफे पाने वाले फर्म के द्वारा रु. 100 (रुपया सौ मात्र) के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध-पत्र हस्ताक्षरित करना होगा।
13. उक्त किसी भी शर्त में परिवर्तन/परिवर्धन करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सर्वथा सुरक्षित रहेगा। विश्वविद्यालय कभी भी 01 माह की लिखित पूर्व सूचना के द्वारा कैंटीन खाली करवा सकता है।
14. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में माननीय कुलपति महोदय का निर्णय सर्वमान्य होगा।
15. समस्त विवाद वर्धा, न्यायालय के परिक्षेत्र के अधीन होंगे।


(सहायक कुलसचिव)

प्रतिलिपि/सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. कुलपति कार्यालय
2. कुलसचिव (विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए संबंधित को निर्देशित करने हेतु)
3. वित्ताधिकारी कार्यालय
4. संबंधित पत्रावली

